२. भारत की संसद

संसद भवन, नई दिल्ली

हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद महत्वपूर्ण है । प्रस्तुत पाठ में भारत की संसद का अध्ययन करेंगे ।

भारत की संसद की निर्मिति संविधान द्‌वारा हुई है । राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधान मंडल को 'संसद' कहा जाता है । उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं परंतु वे सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते ।

ढूँढ़ो

घटक राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें मिलती हैं । चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है । चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या सामान्यतः समान रहती है ।

विविध राज्यों की लोकसभा में कितनी सीटें हैं; यह अंतरजाल (इंटरनेट) के माध्यम से ढूँढ़ो ।

उदा.,

महाराष्ट्र : ४८ सीटें
गुजरात :
मध्यप्रदेश :
उत्तरप्रदेश :
गोवा :

संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है ।

लोकसभा : भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है । लोकसभा संसद का वह सदन है जहाँ प्रतिनिधि लोगों द्‌वारा सीधे चुनकर आते हैं । इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्‌धति द्‌वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है । लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । लोकसभा के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं । ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव भी कहे जाते हैं । कई बार पाँच वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने के कई उदाहरण हैं । ऐसे समय करवाए गए चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं ।

लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है । संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ५५२ होती है । हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है तथा एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समाज के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं ।

राज्यसभा : राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्‌वितीय सदन कहा जाता है । राज्यसभा भारतीय संसद का वह सदन है, जहाँ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं । राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के २८ घटक राज्य और ९ संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है । इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं ।

ये भी जानकारी रखिए !

मेरी : क्या मैं दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ ?

राधिका : नहीं ! जब तुम १८ साल की होगी, तब तुम मतदान कर सकती हो, पर चुनाव नहीं लड़ सकती ।

रणवीर : अरे, तुम्हें पता है ना कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आयु २५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

शबाना : अपने पड़ोसी देश के व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहा तो ?

मुस्कान : यह कैसे संभव है ? वह व्यक्ति भारत का नागरिक है क्या ?

: मान लो, मुझे केरल से चुनाव लड़ना है, तो क्या यह संभव है ?

राधिका : हाँ, क्योंकि अपने अध्यापक महोदय ने कहा था कि, लोकसभा के लिए हम किसी भी राज्य के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं ।

मृणाल : आयु तथा नागरिकत्व से संबंधित शर्तों की जानकारी मिली । पर चुनाव लड़ने के लिए किसे अयोग्य मानना चाहिए ?

मेरी : योग्यता की तरह अयोग्यता की भी कुछ शर्तें होंगी । चलो, अपने अध्यापकों से जानकारी लेंगे ।

राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या २५० है । इसमें २३८ सदस्य विविध घटक राज्यों और संघशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं । राज्यसभा में प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती । जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और १२ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं । साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसका विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है । राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है ।

राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती, इसलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है अर्थात हर दो साल बाद राज्यसभा का ६ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किए हुए १/३ सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव होता है । चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है । राज्यसभा का चुनाव लड़नेवाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु ३० वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ‘सांसद’ कहा जाता है । सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएँ लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं । चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि दी जाती है ।

संसद के : भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे ।

धर्म ण : लोगों के हितों और कल्याण के लिए और संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसद को अनेक नये कानूनों का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं । कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं । संविधान में ही कानून निर्मिति की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है ।

मंध पर धनरं ण : संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है । संसद का उसपर नियंत्रण रहता है । नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते

बताओ तो ?

जो कानून कालबाह्य हुए; इसलिए वे रद्द किए गए हैं, क्या कुछ ऐसे कानूनों के उदाहरण तुम दे सकते हो ? उदा., रियासतदारों के वेतन

हैं । संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है ।

संतव्धान संशोधन : भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हों तो, संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है । संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण रहता है । संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, इसका निर्णय लेती है । भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियाँ हैं । (१) भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं । (२) कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत (२/३) की आवश्यकता रहती है । (३) कुछ प्रावधान विशेष बहुमत तथा आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं ।

लोकसभा के अध : लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा और एक सदस्य की 'उपाध्यक्ष' के रूप में नियुक्ति की जाती है । लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है ।

लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं । अध्यक्ष के पद

ये भी र ानकारी रखिए !

लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों को समान अधिकार हैं । परंतु कुछ अधिकार ऐसे भी हैं, जो लोकसभा को हैं पर राज्यसभा को नहीं हैं । उदा., करविषयक अधिकार पैसों से संबंधित होते हैं । उससे संबंधित प्रस्ताव 'वित्तीय' माने जाते हैं और ऐसे सभी प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और वहाँ उसे मंजूरी दी जाती है । राज्यसभा को इस संदर्भ में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं । कुछ अधिकार राज्यसभा को हैं, पर लोकसभा को नहीं हैं । उदा., राज्यसूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रहित की दृष्टि से संसद द्वारा कानून बनाया जाए ऐसा महसूस होने पर राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है ।

पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलानी पड़ती है । लोकसभा के सदस्यों को लोकप्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं । अध्यक्ष द्वारा उसकी रक्षा की जाती है । अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना, संसद की गरिमा बनाए रखना, कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

राज्यसभा के अध : राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है । भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं । राज्यसभा के अध्यक्ष को भी सदन में अनुशासन बनाए रखना, चर्चा का आयोजन करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना आदि कार्य करने पड़ते हैं ।

संसं कानून कैसे बनाी है ?

अपने देश में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । कानून बनाने के लिए विशेष पद्धति को स्वीकार किया गया है । उस पद्धति को 'विधि निर्माण की प्रक्रिया' कहा जाता है ।

सबसे पहले कानून का कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है । इस कच्चे मसौदे या प्रारूप को कानून का प्रस्ताव या विधेयक कहते हैं ।

संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं । (१) वित्त विधेयक (२) साधारण विधेयक ।

विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की निम्न प्रक्रिया है ।

पठन : संबंधित विभाग का मंत्री अथवा संसद सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है । विधेयक प्रस्तुत करते समय उसका स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करता है । इसे विधेयक का 'प्रथम पठन' कहा जाता है ।

ि्तवीय पठन : द्वितीय पठन के दो चरण होते हैं । पहले चरण में विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है । सदन के सदस्य विधेयक के बारे में अपना

मत व्यक्त करते हैं । विधेयक के समर्थक विधेयक का समर्थन करते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं तो उसका विरोध करनेवाले विधेयक में जो कमियाँ और दोष हैं उन्हें स्पष्ट करते हैं । सदन में विधेयक पर चर्चा होने के पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर विधेयक एक समिति को भेज दिया जाता है । समिति उस विधेयक को निर्दोष बनाने के लिए सूचना और संशोधन का प्रतिवेदन सदन को भेज देती है ।

उसके पश्चात द्‌वितीय पठन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है । इस चरण में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है । सदस्य कुछ संशोधन सुझा सकते हैं । तत्पश्चात उसपर सदन में मतदान लिया जाता है ।

तृतीय पठन : तृतीय पठन के समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा की जाती है । विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है । विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्‌वारा विधेयक पारित हुआ; ऐसा माना जाता है ।

- संसद के दूसरे सदन में भी विधेयक उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है । दोनों सदनों द्‌वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के पश्चात उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है ।
- केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उसका भविष्य निश्चित किया जाता है । राष्ट्रपति के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है और कानून तैयार होता है ।

इसकी भी जानकारी िनिजए :

- प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्तमंत्री लोकसभा में देश का बजट प्रस्तुत करते हैं ।
- राज्यों के विधान मंडलों में भी कानून बनाते समय संसद की तरह पद्‌धति स्वीकार की जाती है । राज्य विधान मंडल द्‌वारा मंजूरी मिलने पर विधेयक पर राज्यपाल के सम्मतिदर्शक हस्ताक्षर होने के पश्चात विधेयक का कानून में परिवर्तन होता है ।

सी ध्याय

१. नमम नकिलप से उनति नकिलप ि्नकर िक्य नरि से नखिो ।

(१) लोकसभा में .... पद्‌धति से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है ।

(अ) भौगोलिक चुनाव क्षेत्र (ब) धार्मिक चुनाव क्षेत्र (क) स्थानीय स्वशासन संस्था चुनाव क्षेत्र (ड) अनुपातबद्‌ध प्रतिनिधित्व पद्‌धति

(२) भारत के .... राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं ।

(अ) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति
(क) प्रधानमंत्री (ड) प्रधान न्यायाधीश

२. ढूँढ़ो और नखिो ।

(१) लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है .... ।

(२) विधि निर्माण का दायित्व इनका है ...... ।

३. नमम कथन कारण सनति स्म करो ।

(१) राज्यसभा स्थायी सदन है ।

(२) लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है ।

४. नमम न के उत्तर २५ से ३० नखिो ।

(१) लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

(२) लोकसभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।

५. नर्नि नममा प्रन के िरण स्म करो ।

उपक्रम

राष्ट्रपति राज्यसभा में १२ सदस्यों को मनोनीत करते हैं । इन सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन-कौन-से मापदंड अपनाए जाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

9L7G1J